

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-410/2015/जयपुर

मै0 हैवमोर आईसक्रीम लिमिटेड,
ए-डी 3/ई, करणी कुटीर,
बनीपार्क, जयपुर

...अपीलार्थी

बनाम
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, वृत्त-जी, जयपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

स्थिति :

श्री आर.सी.अग्रवाल

अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.11.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 365/अप्रा-1/जयपुर/जी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, वृत्त-जी, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 18, 25 55, 61(2) व 61(2)(बी) के तहत कायम की गई मांग राशि रु. 36,45,062/- को विवादित करने पर धारा 61(2) के तहत आईटीसी रिवर्स के बिन्दु पर अस्वीकार की, डीप फ्रिज की खरीद राशि रु. 29,77,494/- पर करारोपण तथा धारा 61(1) व 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपण के बिन्दुओं पर जांच कर तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 29.04.2013 को सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण उपरांत जांच के दौरान यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में विभाग में पेश बिक्री विवरण प्रपत्रों एवं ऑडिट रिपोर्ट में आईटीसी रु 6,77,239/- का क्लेम ऐसे डीप फ्रिजों के क्रय के पेटे किया गया है, जिनके विक्रय का उद्देश्य दस्तावेजों से साबित नहीं होता है और न ही उक्त खरीद किया गया माल वक्त जांच व्यवसाय स्थल पर स्टॉक के रूप में पाया गया। बल्कि उक्त डीप फ्रिजर अपीलार्थी द्वारा अपने उत्पाद 'आईसक्रीम' के रिटेल विक्रेताओं को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कार्य को धारा 18 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार न होना हुआ मानते हुये, आईटीसी रिवर्सल,

ब्याज एवं धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब पर विचार कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुये कि आलोच्य अवधि में जो डीप फ्रिज राज्य के भीतर से क्रय किये गये है उनका उद्देश्य विक्रय नहीं है वरन स्वयं के लिये उपयोग रहा है, जिस पर धारा 18 के तहत आईटीसी देय नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. का दावा अस्वीकार कर दिया तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.11.2013 में धारा 61(2) के तहत रु 6,77,239/- का आईटीसी रिवर्स कर दिया गया एवं धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति 13,54,478/- तथा धारा 55 के तहत ब्याज रु 1,64,794/- कुल 21,96,511/- आरोपित किया गया। इसी प्रकार सर्वेक्षण के पश्चात् ऑडिट के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में डीप फ्रिजर की राज्य के भीतर से की गयी खरीद रु 6,43,060/- एवं डीप फ्रिज की इन्टर स्टेट खरीद रु 5,98,680/- तथा रु 17,35,754/- की प्लान्ट एण्ड मशीनरी की मद में की गयी डीप फ्रिज की खरीद 'आईटीसी' नॉट टेकन शीर्ष के तहत दर्शित पायी गयी। लेकिन आलोच्य अवधि में विभाग में प्रस्तुत विवरणियों में दर्ज संव्यवहारों से उनका मिलान नहीं होना पाया गया। राज्य के भीतर से की गयी खरीद रु 6,43,060/- एवं डीप फ्रिज की इन्टर स्टेट खरीद रु 5,98,680/- तथा प्लान्ट एण्ड मशीनरी की मद में की गयी रु 17,35,754/- की डीप फ्रिज की खरीद को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया हुआ नहीं मानते हुये, अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब पर विचार कर आलोच्य अवधि में डीप फ्रिजर की उक्त खरीद रु 29,77,494/- का विक्रय विवरणियों से छिपायी गयी माना, जिसे कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.11.2013 में करवंचित खरीद अभिनिर्धारित करते हुये कर रु 4,46,624/-, धारा 61(1) के तहत शास्ति रु 8,93,248/- एवं ब्याज रु 1,08,679/- का आरोपण किया गया।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपरोक्त मांग के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर धारा 61(2) के तहत आईटीसी रिवर्स के बिन्दु पर अस्वीकार की, डीप फ्रिज की खरीद राशि रु. 29,77,494/- पर करारोपण तथा धारा 61(1) व 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपण के बिन्दुओं पर जांच कर तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में खरीद किये गये डीप फ्रिज पर रु 9,93,349/- का आईटीसी ड्यू हुआ है, जिसमें से उक्त अवधि की बिक्री पर देय आउटपुट टैक्स रु 3,16,109/- कम किये जाने के पश्चात् रु 6,77,240/- का आईटीसी क्लेम किया गया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी

द्वारा रिवर्स कर विधिक भूल की गयी है क्योंकि उक्त आईटीसी अभी तक अपीलार्थी को स्वीकृत ही नहीं किया गया है व न ही लाभ प्राप्त किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा हैवमोर आईसक्रीम का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। साथ ही डीप फ्रिज भी क्रय कर विक्रय किये जाते हैं। उक्त आईटम उनके पंजीयन, प्रमाण पत्र में खरीद-बिक्री के आईटमों की सूची में सम्मिलित हैं। उनके उत्पाद आईसक्रीम का विक्रय रिटेलर के द्वारा किया जाता है तथा रिटेलर के स्तर पर आईसक्रीम का संग्रहण डीप फ्रिजर में किया जाता है। इस प्रकार बिना डीप फ्रिजर के रिटेलर द्वारा उनका उत्पाद 'हैवमोर आईसक्रीम' का विक्रय संभव नहीं है। इसलिये राजस्थान राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से डीप फ्रिजर अपीलार्थी द्वारा खरीद किये जाते हैं और उनका विक्रय समय-समय पर रिटेलरों को किया जाता है। ऐसे विक्रय पर वेट वसूल कर राजकोष में जमा कर दिया जाता है। यदि कोई रिटेलर डीप फ्रिजर क्रय करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस रिटेलर को अपीलार्थी द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाता है। लेखा पुस्तकों में ऐसे डीप फ्रिजर का इन्द्राज 'स्टॉक इन ट्रेड' के रूप में किया जाता है, क्योंकि उक्त डीप फ्रिजर स्टॉक के रूप में उनके रिटेलर के पास रहते हैं। भविष्य में जब भी रिटेलर इस डीप फ्रिजर को खरीद लेता है तो यह 'विक्रय' की श्रेणी में आ जाता है और अपीलार्थी द्वारा वेट इनवोईस जारी कर, लेखा पुस्तकों में विक्रय के रूप में दर्शाया जाता है तथा वेट वसूल कर राजकोष में जमा करा दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डीप फ्रिजर की खरीद अपने रिटेलरों को विक्रय के लिये ही की जाती है, जिस पर कि धारा 18 के तहत आईटीसी देय है, क्योंकि धारा 18 में उक्त खरीद किये गये माल को बेचे जाने के लिये कोई समय सीमा नियत नहीं है, लेकिन आईटीसी का क्लेम, खरीद के तीन माह की अवधि में ही किया जाना आवश्यक होता है, इसलिये अपीलार्थी द्वारा किया गया आईटीसी क्लेम पूर्णतः विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा इस आईटीसी अतिशेष रु 6,77,239/- का इस वर्ष में ना तो किसी प्रकार देय करदयेता के विरुद्ध समायोजित किया गया है और ना ही किसी अन्य रूप में काम में लिया गया है। व्यवहारी द्वारा समस्त खरीद संव्यवहार उनके रिकार्ड से सत्यापित होते हैं। उनके द्वारा आईटीसी का क्लेम किया गया है, लेकिन इसका लाभ नहीं लिया गया है। कर निर्धारण आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने किस प्रकार आईटीसी का गलत उपभोग किया गया है ऐसी स्थिति में शास्ति आरोपण उचित नहीं है। समस्त खरीद संव्यवहारों के इनवोईस अपीलार्थी के पास उपलब्ध है। इस संबंध में अपीलार्थी के पक्ष पर विचार किये बिना ही आईटीसी रिवर्स कर, शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने अपने समर्थन में 62 STC - 374 (Raj. HC) CTO V/s Hindustan Radiators, 102 STC - 318 (Raj. HC) Metal refining and trading company V/s State of Rajasthan, 2013, (19) VAT Reports - 249 (RTB) CTO V/s Solanki Krishi Bhandar, CTO V/s Godrej & Boyes manufacturing Co. (2012) (33) (TUD) 159 (RTBDB) आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। कर वंचित

खरीद के बिन्दु पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि समस्त खरीद संव्यवहार उनके रिकार्ड से सत्यापित होते हैं। ₹ 5,95,680/- खरीद जो कि राजस्थान राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन पर की गयी है, 10-ए एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र में 0% कर दर के कॉलम में यह मानते हुये दर्शित किया गया है कि राजस्थान राज्य में इस मद पर कोई कर नहीं चुकाया गया है। पंजीकृत व्यवसायों से राज्य के भीतर खरीद ₹ 17,35,754/- जिस पर कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया गया है, को केपिटल गुड्स प्लांट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है, इसलिये उक्त खरीद को वेट रिटर्न में दर्शित नहीं किया गया, क्योंकि वेट प्रपत्रों में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, जिसमें कि ऐसी खरीद जो केपिटल गुड्स के रूप में की गयी है और उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया गया है, को दर्शाया जा सके। इसलिये उक्त खरीद लेखापुस्तकों में तो दर्ज है, जिससे सत्यापित किया जा सकता था, लेकिन बिना लेखा पुस्तकों से सत्यापित किये ही, मात्र वेट प्रपत्रों के आधार पर उक्त खरीद को करवंचित निर्धारित करना विधिसम्मत नहीं है कुल 26 बिलों से खरीद ₹ 6,43,060/- पहले से ही वर्णित 60 बिलों से की गयी कुल खरीद ₹ 17,35,754/- में सम्मिलित है। पुनः उसे अलग से कर वंचित मानकर करारोपण किया जाना दोहरा कर व शास्ति आरोपण है। इसके समर्थन में अ.प्र. द्वारा आलोच्य अवधि की बैलेंस शीट की स्थायी सम्पत्ति के विवरण की प्रति एवं राज्य के भीतर से खरीद किये गये प्लांट एण्ड मशीनरी के खाते की प्रति प्रस्तुत की गयी। अंत में उन्होंने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का तर्क है कि उसके द्वारा अपने रिटेल डीलरों के लिये आईस्क्रीम के विक्रय को सुगम बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर आउटपुट टैक्स चुका कर, डीप फ्रिजर की खरीद की जाती है, जिसका इन्द्राज खरीद खातों में किया जाता है। उसके द्वारा चुकाये गये आउटपुट टैक्स को उसके द्वारा आईटीसी क्लेम के रूप में बहियात में इन्द्राज किया जाता है। व्यवहारी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा कुछ डीप फ्रिजर अपने डीलरों को बेच भी दिये जाते हैं तथा उन पर उनके द्वारा आउटपुट टैक्स वसूल किया जाता है। डीप फ्रिजर का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण पत्र में खरीद बिक्री के आईटमों के रूप में दर्ज हैं। अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आईटीसी क्लेम की अवधि खरीद के तीन माह की है जबकि विक्रय की कोई समय सीमा नहीं है।

8. विचाराधीन प्रकरण में अधिनियम की धारा 18 का अवलोकन करना समीचीन है:-

18. Input Tax Credit. - (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5,

in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases–

- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iia) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point;

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स उन्हीं मामलों में देय है जहाँ या तो माल का विक्रय होता है या रॉ मैटेरियल के रूप में या उत्पादन के रूप में कैपिटल गुड्स के रूप में प्रयोग में आता है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना है कि सर्वेक्षण के समय व्यवसाय स्थल पर डीप फ्रीज का कोई स्टॉक मौजूद नहीं था व डीप फ्रीज सीधे ही विशिष्ट करारों के माध्यम से या तो विक्रय दर्शाकर या रिफण्डेबल सिक्योरिटी के रूप में टोकन राशि लेकर डीलर्स/वेण्डर्स को भेज दिये जाते हैं। प्रकरण में यदि डीप फ्रीज का विक्रय दर्शाया जाता है तथा यह विक्रय बिलों से प्रमाणित होता है व विक्रय बिलों में आउटपुट टैक्स वसूल किया जाता है तो उस संव्यवहार को विक्रय मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है कि वे व्यवसाई द्वारा विक्रय दर्शाये गए डीप फ्रीज की बिक्री का सत्यापन विक्रय बिलों से करें तथा यदि विक्रय बिल सही पाये जाते हैं व आउटपुट टैक्स वसूल किया जाता है तो ऐसे संव्यवहार को विक्रय मानते हुए नियमानुसार तत्समय प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जावे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संव्यवहारों में न तो डीप फ्रीज की बिक्री विक्रय बिल से प्रमाणित होती है व न ही कोई स्टॉक मौजूद था, तो उन संव्यवहारों में यह माना जायेगा कि व्यवहारी द्वारा उन डीप फ्रीज का प्रयोग स्वयं के उपयोग हेतु किया है जो अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) के प्रावधानों से भिन्न उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिससे ऐसे संव्यवहारों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा।

9. अपीलीय अधिकारी ने धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज का आरोपण विधिसम्मत नहीं माना है क्योंकि व्यवहारी ने आईटीसी का लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को भी अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में आईटीसी की राशि का उपभोग करने के संबंध में कोई जांच व विवेचना नहीं होने के कारण इस बिन्दु पर जांच कर तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है।

10. कर वंचित खरीद के संबंध में अपीलार्थी का तर्क है कि 'समस्त' खरीद संव्यवहार उनके रिकार्ड से सत्यापित होते हैं। राशि रु 5,95,680/- खरीद जो कि राजस्थान राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन पर की गयी है, 10-ए एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र में 0% कर दर के कॉलम में यह मानते हुए दर्शित किया गया है कि राजस्थान राज्य में इस मद पर कोई कर नहीं चुकाया गया है। पंजीकृत व्यवसायों से राज्य के भीतर खरीद रु 17,35,754/- जिस पर कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया गया है, का केपिटल गुड्स प्लान्ट एण्ड मशीनरी की श्रेणी में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है, इसलिये उक्त खरीद को वेट रिटर्न में दर्शित नहीं किया गया, क्योंकि वेट प्रपत्रों में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, जिसमें कि ऐसी खरीद जो केपिटल गुड्स के रूप में की गयी है और उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया गया है, को दर्शाया जा सके। इसलिये उक्त खरीद लेखापुस्तकों में तो दर्ज है, जिसे सत्यापित किया जा सकता था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने बिना लेखा पुस्तकों से सत्यापित किये ही, मात्र वेट प्रपत्रों के आधार पर उक्त खरीद को करवंचित निर्धारित करना विधिसम्मत नहीं है। आलौच्य अवधि की प्रस्तुत बैलेंस शीट में स्थाई सम्पत्ति के विवरण की प्रति एवं राज्य के भीतर से खरीद किये गये प्लांट एण्ड मशीनरी के खाते की प्रति के संबंध में कोई जांच अथवा लेखा पुस्तकों से उक्त संव्यवहार असत्यापित होने की कोई विवेचना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त खरीद पर कर को अपास्त कर प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं बहीयात की जांच कर करारोपण एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज का विनिश्चय किया जाये। इसी प्रकार धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी को जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि व्यवसाई द्वारा विक्रय दर्शाये गए डीप फ्रीज की बिक्री का सत्यापन विक्रय बिलों से करें तथा यदि विक्रय बिल सही पाये जाते है व आउटपुट टैक्स वसूल किया जाता है तो ऐसे संव्यवहार को विक्रय मानते हुए नियमानुसार तत्समय प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जावे। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संव्यवहारों में न तो डीप फ्रीज की बिक्री विक्रय बिल से प्रमाणित होती है व न ही कोई स्टॉक मौजूद था, तो उन संव्यवहारों में यह माना जायेगा कि व्यवहारी द्वारा उन डीप फ्रीज का प्रयोग स्वयं के उपयोग हेतु किया है जो अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) के प्रावधानों से भिन्न उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिससे इन संव्यवहारों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा। ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त पैरा सं. 9 व 10 के अनुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत है। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.12.2018 को पेश हो।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
जयपुर